न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर

नियमित फौजदारी सी.आई.सं. प्र.सं.– 166/2013 सरकार/रामनिवास वगै0

दिनांक 05.03.2026

अभियुक्त देवीसिंह के द्वारा आज न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया। पत्रावली तलब करने का प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली कार्यालय से तलब की गई। मुलजिम को अभिरक्षा में लिया गया। उक्त अभियुक्तग का जारीशुदा गिरफ्तारी वारंट अविलम्ब **अदम तामील** में वापस मंगाया जावें। अभियुक्त की ओर से उसके अधिवक्ता श्री शांतनु शर्मा द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

अभियुक्तगणकी ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस जमानत सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त की ओर से 20–20 हजार रुपए की दो सुदृढ़ जमानतें व 40 हजार रूपये की राशि का स्वयं का मुचलका पेश कर तस्दीक करा दिया जावे तो अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

आदेशानुसार अभियुक्त की ओर से जमानत मुचलके पेश किये गये जो बाद जांच नियमानुसार तस्दीक किये गये। कागजात शामिल पत्रावली हों। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया। पत्रावली पूर्व नियत पेशी दिनांक 09.03.2026 को पेश हो।

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

09/3/26

09-03-26 P.O. उप० अभियुक्त देवी सिंह, मय अधिवक्ता, वीरेन्द्र सिंह मय अधि० उप० मूल मर्जि आदेश का परि... अधि० पेश की जो न्याय के लिये स्वीकार की... पत्रावली वास्ते ... नियत दि० 11-03-26 को पेश हो।

देवीसिंह

विरेन्द्र सिंह

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)